रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270082
CG-DL-E-12022026-270082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947
No. 621] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 651(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों के अनुपालन में ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248ए [किमी 2.41 से किमी 24.536 (गुड़गांव सोहना खंड) तक को छोडकर], संख्या 152ए, संख्या 352आर, संख्या 709 [रोहतक-पानीपत खंड (पुराने एनएच-71ए के किमी 0.000 से किमी 80.858) तक को छोडकर] और संख्या 919 के उतने भाग जो हरियाणा राज्य के भीतर अवस्थित हैं।	हरियाणा राज्य सरकार".

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-444(अ), तारीख 30 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 651(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"8	So much of National Highways No. 248A [excluding from Km. 2.41 to Km 24.536 (Gurgaon Sohna Section)], No. 152A, No. 352R, No. 709 [excluding from (Rohtak–Panipat section (km. 0.000 to km. 80.858 of Old NH-71A)] and No. 919 as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana".

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 444 (E), dated the 30th January, 2026.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 652(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में

यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	**राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड**	**चैनेज**
(1)	(2)	(3)
रारा-703	पंजाब/हरियाणा सीमा – सिरसा – हरियाणा/राजस्थान सीमा खंड। (हरियाणा राज्य में)	हरियाणा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
रारा-148बी	राजस्थान/हरियाणा सीमा - नारनौल और चरखी दादरी - भिवानी-हांसी - बरवाला - टोहना - हरियाणा/पंजाब सीमा खंड। (हरियाणा राज्य में)	हरियाणा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग
रारा-148ए	एनएच-48 (गुरुग्राम) का जंक्शन- हरियाणा/दिल्ली सीमा	हरियाणा राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 652(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	**Section of National Highways**	**Chainage**
(1)	(2)	(3)
NH-703	Punjab/Haryana border – Sirsa – Haryana/Rajasthan border Section (In the State of Haryana)	Entire NH in the State of Haryana
NH-148B	Rajasthan/Haryana border – Narnaul and Charkhi Dadri – Bhiwani-Hansi – Barwala – Tohana – Haryana/Punjab border Section (In the State of Haryana)	Entire NH in the State of Haryana
NH-148A	Junction of NH-48 (Gurugram)- Haryana/Delhi border	Entire NH in the State of Haryana

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 653(अ). — केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, दिनांकित 1 सितंबर, 2017 में

प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2863 (अ), दिनांकित 1 सितंबर, 2017 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 653(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2863(E), dated the 1st September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st September, 2017, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 654(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3626(अ), दिनांकित 6 सितंबर, 2021 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका मे क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगाः-

148बी (नया)	भिवानी-हांसी-बरवाला खंड। (हरियाणा राज्य में)	किमी 126 से किमी 197.27

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 3626(अ), दिनांकित 6 सिंतबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 654(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3626(E), dated the 6th September, 2021, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

148B (new)	Bhiwani-Hansi-Barwala section (In the State of Haryana)	Km. 126 to Km. 197.27

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 3626(E), dated the 6th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 655(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1457(अ), दिनांकित 9 मई, 2017 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका मे क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगाः-

703 (नया)	पंजाब सीमा-सिरसा (हरियाणा राज्य में)	किमी 10.08 से किमी 29.00

[फा. सं. एनएच- 14013/3/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1457(अ), दिनांकित 9 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 655(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1457(E), dated the 9th May, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

703 (new)	Punjab border-Sirsa (In the State of Haryana)	Km. 10.08 to Km. 29.00

[F. No. NH-14013/3/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1457(E), dated the 9th May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.12 21:54:54 +05'30'